



भारत में बच्चों का यौन शोषण

सुदीप सार्व, विधि विभाग, पार्वती कौशिक, एलएल.एम.—भाग-2 (द्वितीय सेमेस्टर)
शा. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Authors

सुदीप सार्व
पार्वती कौशिक

E-mail : lawschoolcg@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/03/2026
Revised on : 10/05/2026
Accepted on : 19/05/2026
Overall Similarity : 00% on 11/05/2026



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

0%

Overall Similarity

Date: May 11, 2026 (05:09 PM)
Matches: 0 / 1713 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found,
your document looks healthy.

Verify Report:
Scan this QR Code



शोध सार

बच्चों का यौन शोषण मानवाधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन है और भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी चिंता है। इसमें शोषण से जुड़े कई तरह के व्यवहार शामिल हैं, जैसे छेड़छाड़, बलात्कार, उत्पीड़न और अश्लील सामग्री दिखाना; ये अक्सर नाबालिगों के साथ जाने-पहचाने लोग ही करते हैं। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाले कानून एक्ट, 2012 जैसे कानूनी ढांचों के बावजूद, CSA के मामले अभी भी चिंताजनक रूप से ज्यादा हैं। इसकी वजह है मामलों की कम रिपोर्टिंग, सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी और व्यवस्था में मौजूद कमियां। इस शोधपत्र का मकसद भारत में बच्चों के यौन शोषण की प्रकृति, उसका विस्तार और कारणों की जांच करना है, साथ ही इसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी प्रभावों पर भी रोशनी डालना है। यह इस मुद्दे से निपटने में मौजूदा कानूनों और संस्थागत व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करता है। यह अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि शोषण को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कानूनों का और सख्ती से पालन होना चाहिए, समुदाय में जागरूकता फैलानी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए और पीड़ितों को केंद्र में रखकर काम करने के तरीके अपनाए।

मुख्य शब्द

बच्चों का यौन शोषण, मानवाधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून एक्ट, 2012.

परिचय

बच्चों का यौन शोषण एक बहुत ही आम और बेहद परेशान करने वाला मुद्दा है, जो दुनिया भर में लाखों बच्चों को प्रभावित करता है; भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसका मतलब है बच्चों के साथ होने वाली कोई भी यौन गतिविधि, जिसमें या तो बच्चे की सहमति नहीं ली गई हो, या फिर उसकी उम्र और नासमझी के कारण वह सहमति देने में सक्षम न हो। भारत में, बच्चों को अक्सर उन जगहों पर ही शोषण का शिकार होना पड़ता है, जिन्हें सुरक्षित माना जाता है—जैसे घर,

स्कूल और समुदाय: और अक्सर शोषण करने वाले लोग उनके रिश्तेदार, जान-पहचान वाले या जिन पर वे भरोसा करते हैं, ऐसे लोग ही होते हैं।

बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाले कानून (POCSO) एक्ट, 2012 के लागू होने के बाद इस मुद्दे पर कानूनी और सामाजिक रूप से काफी ध्यान दिया जाने लगा। यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हालांकि, इन कानूनी सुधारों के बावजूद, यह समस्या अभी भी चिंताजनक दर से बनी हुई है। सांस्कृतिक वर्जनाएं, सामाजिक बहिष्कार का डर, जागरूकता की कमी और रिपोर्टिंग की अपर्याप्त व्यवस्थाएं ये सभी इस अपराध को छिपाए रखने में योगदान देते हैं।

बच्चों के यौन शोषण का पीड़ितों पर गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला असर पड़ता है। इसमें मनोवैज्ञानिक आघात (ट्रॉमा), अवसाद (डिप्रेशन), चिंता और सामाजिक व भावनात्मक विकास में आने वाली कठिनाइयां शामिल हैं। इसके अलावा, न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है—जैसे मामलों में देरी, संवेदनशीलता की कमी और पीड़ितों को मिलने वाली सहायता सेवाओं का अपर्याप्त होना।

इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत में बच्चों के यौन शोषण के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करना है। इसमें इसके कारण, विस्तार, प्रभाव और कानूनी उपायों की प्रभावशीलता जैसे विषय शामिल हैं। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता और पुनर्वास के लिए सुधारों और रणनीतियों का सुझाव देना भी है, जिसमें बच्चों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा में समाज, सरकार और संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया गया है।

बाल यौन शोषण में योगदान देने वाले कारक

बाल शोषण क्या है?

“बाल शोषण” बच्चे के शरीर को नुकसान पहुँचाने या होने देने का कोई भी कार्य है, साथ ही शब्दों का कोई भी आदानप्रदान या अन्य अंतःक्रियाएं जो युवा को शर्मिंदा, डरा हुआ या अपमानित महसूस कराती हैं। बाल विकास के कुछ विशेषज्ञ इसे एक कदम आगे ले जाते हैं और बाल शोषण को किसी भी ऐसे कार्य या निष्क्रियता के रूप में वर्णित करते हैं जो बच्चों के पालन-पोषण या पोषण के लिए अपर्याप्त है।

एक बच्चे का यौन शोषण तब होता है जब वे ऐ से यौन व्यवहार में शामिल होते हैं जिसके लिए वे न केवल सहमति नहीं देते बल्कि सहमति देने में असमर्थ होते हैं, जब उनका विकास तैयार नहीं होता है और वे सहमति देने में असमर्थ होते हैं, या जब आचरण कानून या सामाजिक वर्जनाओं का उल्लंघन करता है। एक बच्चे और विकास के बीच की गतिविधि बाल यौन शोषण का सूचक है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी, विश्वास और अधिकार का रिश्ता शामिल होता है और इसे दूसरे व्यक्ति की मांगों को पूरा करने के इरादे से किया जाता है।

इसमें न केवल वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियाँ शामिल हैं, बल्कि इसमें अवैध गतिविधियों में भाग लेने के लिए नाबालिग को मजबूर करना या प्रेरित करना भी शामिल है। इन गतिविधियों के उदाहरणों में अश्लील सामग्री और सामग्री के निर्माण के लिए नाबालिगों का शोषण, किसी भी तरह का स्पर्श, जननांग प्रवेश, सहलाना और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से स्पर्श करना शामिल है।

शीला बर्से और अन्य बनाम भारत संघ मामले में, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, जिन्होंने यह निर्णय दिया था, के अनुसार बच्चों को राष्ट्र का पहलू माना जाता है और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह बच्चों के व्यक्तित्व विकास को उचित रूप से सुनिश्चित करे। देश का विकास बच्चों पर निर्भर है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। युवाओं को बुनियादी मानवीय स्तर तक पहुँचने के लिए संगठित देखभाल और समाजीकरण के विकास की आवश्यकता होती है। बच्चों का विकास संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास के साथ-साथ प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के सुदृढीकरण और अन्य चीजों जैसे सभी आयामों में होना चाहिए। यह सभ्य समाज बच्चों के साथ जिस तरह से व्यवहार करता है, वह उसकी नागरिकता का एक बहुत अच्छा संकेतक है। यह सरकार और समाज का कर्तव्य और दायित्व है कि वे बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करें। राज्य बच्चों के विकास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य बाल यौन शोषण को रोकने के इरादे से बनाए गए कानून को व्यवहार में लाने की कठिनाइयों की जांच करना है।

लक्ष्य

- भारत में बाल यौन शोषण के प्रकारों और शोषण को विनियमित करने वाले कानूनों के बारे में अध्ययन करना।
- बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए विभिन्न कानूनों और विधियों के बारे में अध्ययन करना।

भारत में बाल यौन शोषण के कारण (variables) योगदान करते हैं। ये तत्व भारत में बाल यौन शोषण में कई चर हमारे राष्ट्र के सामाजिक मानकों से प्राप्त होते हैं, जो यह तय करते हैं कि भारत में बच्चों को अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का सम्मान और आज्ञा माननी चाहिए और उन्हें उनके निर्णयों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वयस्कों की राय को चुनौती देने की भावना अपहरण पर सवाल उठाती है और एक ऐसी संस्कृति वापस लाती है जो भारत में बच्चों को वयस्कों द्वारा यौन शिकारियों से ऊपर रखती है और उनसे वयस्कों की पूरी तरह से आज्ञा मानने की अपेक्षा की जाती है। बच्चों की चुप्पी और वयस्कों की राय पर सवाल न उठाने का प्रभाव उन्हें आसान लक्ष्य बनाता है, सबसे बुरा हिस्सा यह है कि बच्चों के यौन शोषण के मामलों को शर्म और चुप्पी की भावना से पहचाना जाता है साथ ही बाल यौन शोषण का कारण गरीबी है। गरीबी का सामना करने वाले बच्चे अक्सर पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं और यह मानव तस्करी वेश्यावृत्ति के लिए बाल तस्करी, भीख मांगने आदि के माध्यम से बच्चों के शोषण का कारण बन जाता है।

विकलांगता

यदि अधिकार रखने वाला व्यक्ति बच्चे के यौन शोषण में शामिल है, तो वह उस व्यक्ति को कमजोर कर देता है जो सुरक्षा की तलाश में शोषित है। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए विकलांग लोगों को पहले सामान्य आबादी से अलग रखा जाना चाहिए और दैनिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह अलगाव जिस हद तक बढ़ता है वह सेवा प्रदाताओं पर निर्भर करता है। अधिकार और नियंत्रण पीड़ितों का और उनका यौन शोषण विकलांग व्यक्ति को भारत में यौन शोषण के संबंध में कानूनी अधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है।

गरीबी

विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया भर में किए गए शोधों में यह अध्ययन किया गया है कि गरीबी और बाल यौन शोषण के बीच का संबंध बहुत परिचित है। बाल यौन शोषण पर गरीबी का प्रभाव प्रतिकूल है। अधिकांश यौन शोषण वंचित परिवारों द्वारा किया जाता है। बाल यौन शोषण के सभी मामले गरीब परिवारों से नहीं होते हैं, अन्य कामकाजी वर्ग और अमीर परिवारों से भी होते हैं। गरीब और असुरक्षित बच्चे अपराधियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, अपराधी उन्हें सहायता देने का दावा करते हैं और अंततः उनका शोषण करते हैं।

साइबर स्पेस में बच्चों के यौन अधिकारों का उल्लंघन

एक और महत्वपूर्ण कारक जो बाल यौन शोषण की ओर ले जाता है वह है तकनीकी उन्नति और बच्चों का तकनीकी रूप से उपयोग करके उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल करना। इसमें बाल पोर्नोग्राफी और फोटोग्राफिक सामग्री बनाना शामिल है। कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों के खिलाफ यौन शोषण तेजी से बढ़ा। भारत में अश्लील सामग्री की खपत पर इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (ICPF रिपोर्ट) के अनुसार, उन्होंने बताया कि भारी वृद्धि हुई थी लगभग 95 प्रतिशत वेबसाइटें लॉकडाउन से पहले की तुलना में बढ़ गई थीं अधिकांश वृद्धि बाल पोर्नोग्राफी सामग्री की मांग के कारण थी। अमेरिका स्थित एनजीओ नेशनल सेंटर फॉर किडनैप्ड एंड मिसिंग चिल्ड्रन ने एक शोध किया, जिसके अनुसार 2020 तक भारत सबसे अधिक वेब सर्च वॉल्यूम वाले देशों में से है जो बाल पोर्नोग्राफी सामग्री खोजते हैं साथ ही एनजीओ द्वारा सुझाए गए सुझावों में शामिल है कि 5 महीने की अवधि के भीतर बाल पोर्नोग्राफी सामग्री के संदेह में 25,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। भारत के भीतर दिल्ली उन राज्यों की सूची में शीर्ष पर थी जो बाल फोटोग्राफिक सामग्री की सामग्री अपलोड करने में शामिल थे।

बाल पोर्नोग्राफी पिछले कुछ वर्षों से, बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले कई व्यक्तियों द्वारा “बाल पोर्नोग्राफी” शब्द को अक्सर “बाल यौन शोषण” से बदल दिया जाता है। इसे वास्तव में सटीक माना जाता है और माना जाता है कि यह अपराध को बेहतर तरीके से वर्णित करता है। बाल पोर्नोग्राफी शब्द न केवल बाल यौन शोषण को कवर करता है बल्कि उन अपराधों को भी शामिल करता है जिनमें ऐसी सामग्री का उत्पादन, तैयारी, साझा करना, भेदभाव करना शामिल है।

निष्कर्ष

भारत में बाल यौन शोषण एक गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या है, जो बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। इस अपराध के कारण बच्चों का आत्मविश्वास टूट जाता है और उनका भविष्य प्रभावित होता है। इस समस्या से निपटने के लिए केवल कठोर कानून ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता, बच्चों को सही शिक्षा, अभिभावकों की सतर्कता और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है। सरकार, स्कूल, परिवार और समाज सभी को मिलकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि हर बच्चा भयमुक्त और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके।

संदर्भ सूची

1. Singh, Amit; Varma, Preeti (2025) *Child Sexual Abuse in India: A Comprehensive Treatise on POCSO*. Chyren Publication, Palwal, Haryana, ISBN 9789349076112 .
2. टिकु, हर्ष; वाधवा, रवि भूषण (2023) *बाल यौन शोषण*. भारत विधि प्रकाशन, दिल्ली।
3. हल्दर, देवशवती (2018) *भारत में बाल शोषण और संरक्षण कानून सीरीज*. सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा, आईएसबीएन 9789353289355।
